परियोजना का नामः– जनपद देहरादून में राजाजी राष्ट्रीय पार्क, के अन्तर्गत चीला–मोतीचूर कोरिडोर की पुनर्स्थापना हेतु खाण्ड गांव–3 के परिवारों को विस्थापित कर लाल पानी क0सं0–2 में भूमि आवंटन के सम्बन्ध में।

प्रतिवेदन

जनपद–...... जनपद देहरादून में राजाजी राष्ट्रीय पार्क, के अन्तर्गत चीला–मोतीचूर कोरिडोर की पुनर्स्थापना हेतु खाण्ड गांव–3 के परिवारों को विस्थापित कर लाल पानी क0सं0–2 में भूमि आवंटन के सम्बन्ध में।

प्रस्तावनाः–

प्रमुख वन संरक्षक (वन्यजीव)/मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या–3087/3–48, देहरादून दिनांक 26.04.2016 के द्वारा राजाजी टइगर रिजर्व के अंतर्गत चीला–मोतीचूर कॉरीडोर की पुर्नस्थापना हेतु खाण्डगांव–03 में टिहरी बांध के 31 मूल विस्थापित परिवारों एवं इनके द्वारा विक्रय की गयी भूमि के 32 क्रेताओं सहित कुल 63 परिवारों को पूर्व में देहरादून वन प्रभाग, देहरादून के लालपानी कक्ष संख्या–02 की 26.00 है0 वन भूमि भारत सरकार के अनुमोदनोपरान्त विस्थापित करने हेतु आवंटित की गयी थी। इसके अतिरिक्त वर्ष 2009 में टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपारेशन (टी0एच0डी0सी0) द्वारा खाण्डगांव–03 में मूल विस्थापित परिवारों एवं इनके द्वारा विक्रय की गयी भूमि के क्रेतागणों सहित कुल 10 अतिरिक्त परिवारों को संलग्न सूची के अनुसार लालपानी कक्ष संख्या–02 में ही विस्थापित किये जाने का प्रस्तावित है।

इस सम्बन्ध में शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णयानुसार वर्ष 2009 में टी0एच0डी0सी0 द्वारा खाण्डगांव–03 के मूल विस्थापित परिवारों एवं इनके द्वारा विक्रय की गयी भूमि के क्रेतागणों सहित कुल 10 अतिरिक्त परिवारों की सूची के अनुसार देहरादून वन प्रभाग, देहरूादन के लालपानी कक्ष संख्या–02 में उपलब्ध 2.4 है0 वन भूमि के सापेक्ष उतनी ही भूमि निम्न शर्तो के तहत आवंटित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

1. खाण्डगांव–03 के पूर्व में विस्थापित परिवारों/किसानों व वन विभाग के मध्य हुये सशर्त अनुबन्ध (एम0ओ0यू0) के अनुसार ही प्रश्गत प्रकरण में विस्थापन हेतु प्रस्तावित मूल विस्थापित परिवारों एवं इनके द्वारा विक्रय की गयी भूमि के क्रेतागणों सहित कुल 10 अतिरिक्त परिवारां के साथ एम0ओ0यू0 सम्पादित किया जायेगा।
2. लालपानी कक्ष संख्या–02 में विस्थापितों को उपलब्ध करायी जा रही भूमि की वैधानिक स्थिति तब तक आरक्षित वन की ही रहेगी जब तक खाण्डगांव–03 में उक्त 10 अतिरिक्त परिवारों की निजी भूमि का वन विभाग के पक्ष में अमलदरामद न हो जाये।
3. लालपानी कक्ष संख्या–02 की वलन भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा तथा उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्तियों को हस्तान्तरित नहीं किया जायेगा।
4. अतएव निदेशक, राजाजी टाइगर रिजर्व, देहरादून उत्तराखण्ड के स्तर से लालपानी कक्ष संख्या–02 में प्रस्तावित 2.4 है0 वन भूमि के हस्तांतरण का प्रस्ताव गठित कर नियमानुसार आनलाईन अपलोड आदि की कार्यवाही की जायेगी।

उप प्रभागीय वनाधिकारी
ऋषिकेश
देहरादून वन प्रभाग देहरादून

वन क्षेत्राधिकारी
ऋषिकेश
देहरादून वन प्रभाग

प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून वन प्रभाग,
देहरादून